



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-30

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 259635 दिनांक 07/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ummed Mal Mahawar S/o Babu Lal Mahawar	श्री चेतन प्रकाश खत्री पुत्र श्री चिमन लाल खत्री	636	45.00 SQ. METER	JDA	RAM CHANDRA VIHAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री उम्मेद मल महावर पुत्र श्री बाबुलाल महावर द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना रामचन्द्रविहार के भूखण्ड संख्या 636 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 06.08.2015 को श्री चेतन प्रकाश खत्री पुत्र श्री चिमन लाल खत्री के पक्ष में जारी की गयी है। तत्पश्चात रजि मुख्तयारनामा दिनांक 19.05.2015 द्वारा श्री चेतन प्रकाश खत्री ने श्री प्रमोद पारिक पुत्र श्री बाबूलाल पारिक को मु.आम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								नियुक्त किया गया है तत्पश्चात श्री प्रमोद पारिक बहैसियत मु.आम चेतन प्रकाश खत्री द्वारा श्री प्रखर खण्डेलवाल पुत्र श्री दिलीप खण्डेलवाल को रजि. विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2017 को बेचान किया गया। तत्पश्चात श्री प्रखर खण्डेलवाल द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2025 को श्री उम्मेद मल महावर पुत्र श्री बाबुलाल महावर को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ummed Mal Mahawar S/o Babu Lal Mahawar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |